कार्यकारी परिषद की दिनांक 09 जून 2017 को 11.00 बजे पूर्वाह्न बराद सदन,शैक्षणिक ब्लॉक, सिक्किम विश्वविद्यालय के सभा-कक्ष में आयोजित 27 वीं बैठक के कार्यवृत्त

कार्यकारी परिषद की 27वीं बैठक दिनांक 09 जून 2017 को 11 बजे पूर्वा0 बराद सदन के सभा कक्ष में आयोजित की गई थी। निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित थे :

1.	प्रो टी.बी.सुब्बा, कुलपति	-	अध्यक्ष
2.	प्रो. चेतन सिंह, पूर्व निदेशक, आई आई ए एस, शिमला	-	सदस्य
3.	श्री कमल काफ्ले, सचिव (सेवानि.) पाक्योंग, सिक्किम	-	सदस्य
4.	श्री टी.आर. पौड्याल, आईएफएस(सेवानि.) पूर्व सचिव, सिक्किम सरकार	-	सदस्य
5.	प्रो घनश्याम नेपाल, नेपाली विभाग, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय	-	सदस्य
6.	प्रो अमरेश दुबे, प्रादेशिक विकास अध्ययन केंद्र , जे एन यू, नई दिल्ली	-	सदस्य
7.	□ॉ बापुकन चौधरी, एन्थ्रोपोलॉजी विभाग, गौहाटी विश्वविद्यालय	-	सदस्य
8.	श्री □ी.के.प्रधान, विशेष सचिव एवं निदेशक, एचआर□ी□ी, (श्री जी.पी.अध्याय, अवर मुख्य सचिव का प्रतिनिधित्व)	-	सदस्य
9.	प्रो इर्शाद गुलाम अहमद, □ीन , भाषाएं एवं साहित्य स्कूल	-	सदस्य
10.	प्रो वी. रामादेवी, □ीन व्यवसायिक अध्ययन स्कूल	-	सदस्य
11.	□ॉ. नवल के पासवान, □ीन सामाजिक विज्ञान स्कूल	-	सदस्य
12.	□ॉ. नुतन कुमार एस थिंगुजाम, □ीन, मानव विज्ञान स्कूल	-	सदस्य
13.	प्रो. प्रताप चंद्र प्रधान, प्रमुख, नेपाली विभाग	-	सदस्य
14.	□ॉ. सुबीर मुखोपाध्याय,एसोसिएट प्रोफेसर, भौतिकी विभाग	-	सदस्य
15.	श्री पी.के.सिंह, वित्त अधिकारी	-	आमंत्रित सदस्य
16.	श्री टी.के. कौल, कुलसचिव	-	सदस्य

□ॉ. श्री राधा दत्ता, निदेशक, एम ए के ए आई ए एस, कोलकाता एवं □ॉ. एस. मनिवन्णन, □ीन, छात्र कल्याण अपनी पूर्व कार्यव्यस्तता के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके, तथा अनुपस्थिति हेतु छुट्टी चाहा है ।

सुश्री ग्रेस □ी चेंकापा, सहायक कुलसचिव एवं श्री सत्यम राणा, सहायक परिषद की सहायता हेतु उपस्थित थे ।

आरंभ में अध्यक्ष ने कार्यकारी परिषद के सभी सदस्यों का स्वागत किया । उन्होंने प्रो. इम्तियाज गुलाम अहमद की परिषद की बैठक में अवदानों को अभिलेखित किया । उन्होंने □ॉ. नवल किशोर पासवान एवं □ॉ. सुबीर मुखोपाध्याय का भी स्वागत किया, जिन्होंने विभिन्न हैसियत से बैठक में भाग लिया था । तत्पश्चात कार्यसूची मदों पर चर्चा आरंभ की गई :

भाग - 1

कार्यवृत्त एवं अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट की पुष्टि

ई.सी. 27.1.1: कार्यकारी परिषद की दिनांक 21 नवम्बर 2016 को आयोजित 26वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

कार्यकारी परिषद की दिनांक **21 नवम्बर** 2016 को आयोजित 26वीं बैठक के कार्यवृत्त का परिचालन दिनांक 5 दिसम्बर 2016 को सभी सदस्यों के बीच किया गया था । परिषद के कसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी ।

कार्यकारी परिषद की दिनांक **21 नवम्बर** 2016 को आयोजित 26वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर ली गई , जैसा कि दिनांक 5 दिसम्बर 2016 को परिचालित किया गया था।

ई.सी. 27.1.2: कार्यकारी परिषद की दिनांक **21 नवम्बर** 2016 को आयोजित 26 वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट

सचिव ने कार्यकारी परिषद की 26वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की । परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई को नोट किया ।

भाग - 2

रिपोर्टिंग मदें

ई.सी. 27.2.1: परिशोधित प्राक्कलन 2015-16 एवं बजट प्राक्कलन 2016-17

परिषद ने नोट किया कि परिशोधित प्राक्कलन 2015-16 एवं बजट प्राक्कलन 2016-17 पर कार्यसूची मद सभी सदस्यों को दिनांक 3 अप्रैल 2017 को ईमेल द्वारा परिचालित किया गया था । परिषद ने यह भी नोट किया कि नीचे दिए गए विवरणानुसार नौ सदस्यों ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया था, जो कि परिषद के कुल सदस्यों में से 50% से अधिक है। तत्पश्चात अध्यक्ष ने कार्यसूची मद का अनुमोदन किया :

1. डॉ श्रीराधा दत्ता
2. प्रो. चतेन सिंह
3. प्रो. बापुकन चौधुरी
4. प्रो. घनश्याम नेपाल
5. प्रो. वी रामादेवी
6. प्रो. प्रताप चंद्र प्रधान
7. डॉ. नवल के पासवान
8. डॉ. सुबीर मुखोपाध्याय
9. डॉ. नुतनकुमार एस थिंगुजाम

ई.सी. 27.2.2: निधियों के बेहतर उपयोग पर सलाह देने के लिए समिति

परिषद ने नोट किया कि अपनी दिनांक 21 नवंबर 2016 को आयोजित 26 वीं बैठक में वित्त समिति की 14 वीं बैठक पर विचार करने के दौरान विश्वविद्यालय को निधियों के बेहतर उपयोग पर सलाह देने के लिए एक समिति गठित किए जाने की सलाह दी गई थी तदनुसार, कुलपति ने निम्नलिखित समिति का गठन किया:

i.	प्रो. जे.पी.तामांग, डीन , जीव विज्ञान स्कूल	- सदस्य
ii.	प्रो. वी रामादेवी, डीन, व्यवसायिक अध्ययन स्कूल	- सदस्य
iii.	प्रो. अभिजीत दत्ता, प्रमुख, वाणिज्य विभाग	- सदस्य
iv.	श्री.पी.के.सिंह, वित्त अधिकारी	- सदस्य

v. श्री सी. तालुकदार, संयुक्त कुलसचिव (वित्त) - सदस्य एवं संयोजक

समिति ने दिनांक 31 मार्च 2017 को बैठक की । समिति ने नोट किया कि आवर्ती अनुदान निधि सुस्त पड़ी हुई नहीं है ।यह भी, कि यांग्यांग स्थित कैंपस के पैकेज 1 के निर्माण की समाप्ति पर गैर-आवर्ती शीर्ष के अंतर्गत स्वीकृत अनुदान का भी पूर्णरुपेण उपयोग किया जाएगा ।

ई.सी. 27.2.3: यांग्यांग स्थित कैंपस निर्माण के फेज 1 के पैकेज 1 के निर्माण की प्रगति

अध्यक्ष ने सूचित किया कि **फेज 1 के पैकेज 1** का निर्माण जिसमें प्रशासनिक भवन, लाइब्रेरी भवन, एक संकाय भवन, मुख्य प्रवेश द्वार तथा भवनों के लिए परिधीय सड़कों का निर्माण सम्मिलित है, मैसर्स एन सी सी लिमिटे को रू0 106.45 करोड़ की उद्धृत राशि पर क्रियान्वित करने के लिए अवार्ड किया गया है । निर्माण कार्य दिनांक 9 नवंबर 2016 को अवार्ड किया गया था तथा अनुबंध दिनांक 23 नवंबर 2016 को हस्ताक्षरित किया गया था । परियोजना की अवधि 18 माह, अर्थात 10 मई, 2018 तक की है ।
परिषद ने यांग्यांग स्थित निर्माण कार्य की प्रगति को नोट किया।

ई.सी. 27.2.4: डॉ0 रफिउल अहमद, सहायक प्राध्यापक की अध्ययन छुट्टी

परिषद ने नोट किया कि **डॉ0 रफिउल अहमद,** सहायक प्राध्यापक दिनांक 1 फरवरी 2016 से लागू 2 वर्षों की अवधि के लिए अध्ययन छुट्टी परिषद द्वारा इनकी दिनांक 31 अक्टूबर 2015 को आयोजित 23वीं बैठक में असावधानी से अनुमोदित की गई थी। ॉक्टर **रफिउल** अहमद ने सिर्फ 1 वर्ष की छुट्टी हेतु आवेदन किया था, तथा संबंधित विभाग द्वारा भी सिर्फ 1 वर्ष की छुट्टी हेतु अनुशंसा की गई थी। अतः ॉक्टर **रफिउल** अहमद को तत्काल ड्यूटी पर लौटने के लिए कहा गया । उन्होंने अपना कार्यभार 27 फरवरी 2017 को दिनांक 1 फरवरी 2016 से 26 फरवरी 2016 तक अध्ययन छुट्टी का उपयोग करने के बाद पुनः ग्रहण किया ।

भाग - 3 संपुष्टि हेतु विषय

ई.सी. 27.3.1: पुस्तकालयाध्यक्ष की संवीदा आधार पर नियुक्ति में विस्तार

परिषद ने कुलपति द्वारा प्रोफेसर ए एस चंदेल की संविदाजन्य नियुक्ति में दिनांक 1 अप्रैल 2017 से 6 महीने की अवधि हेतु वर्तमान शर्तों पर विस्तार करने की कार्रवाई की संपुष्टि की । परिषद ने नोट किया कि प्रोफ़ेसर चंदेल ने पुस्तकालय के विकास हेतु बहुत अवदान किया है, तथा पद को विज्ञापित किया गया है। अतः, परिषद ने प्रोफेसर ए. एस. चंदेल की संविदाजन्य नियुक्ति में अगले पदधारी के कार्यभार ग्रहण करने तक विस्तार किया ।

ई.सी. 27.3.2: डॉक्टर अब्दुल हन्नान का अति विशेष छुट्टी हेतु आवेदन

परिषद ने कुलपति द्वारा ॉक्टर अब्दुल हन्नान, सहायक प्रोफेसर, भूगोल विभाग को आई सी एस एस आर, नई दिल्ली द्वारा वेतन के साथ-साथ प्रस्तावित पोस्ट ॉक्टरल फेलोशिप का उपभोग करने के लिए दिनांक 28 मार्च 2017 से 2 वर्षों की अवधि हेतु अति विशेष छुट्टी की स्वीकृति देने की कार्रवाई की संपुष्टि की। यद्यपि, परिषद ने चाहा कि विश्वविद्यालय ॉ अब्दुल हन्नान के संस्थान को संबद्ध किए जाने के बारे में रिपोर्ट करें।

ई.सी. 27.3.3: श्री जयंत कुमार बर्मन का अध्ययन छुट्टी हेतु आवेदन

परिषद कुलपति द्वारा श्री जयंत कुमार बर्मन, सहायक प्रोफेसर, संगीत विभाग को 15 मार्च 2017 से 8 अगस्त 2018 तक इस शर्त पर अध्ययन छुट्टी की स्वीकृति देने की कार्रवाई की संपुष्टि की, कि वे जिस संस्थान से अपना पीएचडी करेंगे, वह मान्यता प्राप्त संस्थान हो।

ई.सी. 27.3.4: डॉ. टेइबोरलांग टी खशिनट्यु का लिइन में विस्तार हेतु आवेदन पत्र

परिषद ने कुलपति द्वारा डॉ. टेइबोरलांग टी खशिनट्यु को 31 जनवरी 2017 से 1 वर्ष के लिएन में विस्तार करने की कार्रवाई की संपुष्टि की । वर्तमान में वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में सहायक प्राध्यापकके रूप में कार्यरत हैं ।

ई.सी. 27.3.4: विश्वविद्यालय द्वारा हस्ताक्षरित एम ओ यू

परिषद ने विचार विमर्श के उपरांत कुलपति द्वारा निम्नलिखित संस्थानों के साथ शैक्षणिक विनिमय एवं सहभागिता को सुविधा संपन्न बनाने के लिए एमओयू हस्ताक्षरित करने की कार्रवाई की संपुष्टि की । (अनुलग्नक 1)

i. **सिक्किम विश्वविद्यालय एवं खाद्य सुरक्षा एवं कृषि विकास विभाग, सिक्किम सरकार के बीच सहभागिता अनुबंध**

यह सहभागिता अनुबंध दिनांक 6 मार्च 2017 को खाद्य सुरक्षा एवं कृषि विकास विभाग, सिक्किम सरकार द्वारा सिक्किम विश्वविद्यालय के परिसर में तथा बागवानी विभाग के नियंत्रणाधीन उर्वरक एवं गुणता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित करने के उद्देश्य से हस्ताक्षरित किया गया था । यह अनुबंध 2 वर्षों की अवधि हेतु अर्थात 5 मार्च 2019 तक प्रभावित रहेगा ।

ii. **बांगर यूनिवर्सिटी , यू के एवं सिक्किम विश्वविद्यालय के बीच एमओयू**

यह एमओयू दिनांक 31 मार्च 2017 को दोनों संस्थानों के बीच पारस्परिक सहायता के माध्यम से शिक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विनिमय प्रोन्नत करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया था ।

iii. **सिक्किम विश्वविद्यालय एवं दी हाकुबी, सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च क्योटो यूनिवर्सिटी, जापान के बीच शैक्षणिक सहकारिता एवं विनिमय हेतु संयुक्त विज्ञप्ति।**

दोनों संस्थानों के बीच शैक्षणिक सहकारिता एवं विनिमय हेतु एक संयुक्त विज्ञप्ति दिनांक 10 मई 2017 को शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहभागिता, शैक्षणिक सूचनाओं का विनिमय, विद्वतापूर्ण सूचनाएं, सामग्रियां एवं प्रकाशन तथा सहकारी सेमिनारों, कार्यशालाओं एवं अन्य शैक्षणिक बैठकों का संयुक्त प्रायोजन हेतु हस्ताक्षरित किया गया ।

भाग - 4

विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ विषय

ई.सी. 27.4.1: गैर शिक्षण कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि का समापन

परिषद ने नोट किया कि निम्नलिखित गैर शिक्षण कर्मचारियों ने प्रत्येक के विरुद्ध दर्शाई गई तारीख से अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है । परिषद ने यह भी नोट किया कि उनके कार्य निष्पादन की समीक्षा संबंधित रिव्युइंग प्राधिकारियों द्वारा की गई एवं कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है ।

परिषद ने निम्नलिखित गैर-शिक्षण कर्मचारियों की परीविक्षा प्रत्येक के विरुद्ध दर्शाई गई तारीख से उठाए जाने का अनुमोदन किया, तथा उन्हें विश्वविद्यालय की सेवा में उनकी परीक्षा की समाप्ति की अगली तारीख से पुष्टि का भी अनुमोदन किया ।

क्र0 सं0	**नाम**	**पदनाम**	**कार्यग्रहण की तारीख**	**परीविक्षा समाप्ति की तारीख**
1.	सुश्री सर्बदा प्रधान	सहायक पुसटकलायाध्यक्ष	07/12/2015	06/12/2015
2.	श्री मनिष सोनी	सूचना वैज्ञानिक	25/01/2016	24/01/2017
3.	सुश्री माधुरी	व्यवसायिक सहायक	04/12/2015	03/12/2016
4.	श्री अनिल खाती	तकनीकी सहायक	08/12/2015	07/12/2016
5.	सुश्री नेत्रा खरेल	सुरक्षा पर्यवेक्षक	20/11/2015	19/11/2016
6.	सुश्री डिम्पी राई	तकनीकी सहायक	24/11/215	23/11/2016
7.	श्री अदीप तिर्वा	तकनीकी सहायक	24/11/2015	23/11/2016
8.	श्री सुकांत देव	तकनीकी सहायक	23/11/2015	22/11/2016
9.	श्री किशोर छेत्री	तकनीकी सहायक	07/12/2015	06/12/2016
10.	श्री ग्यान छिरिंग लेप्चा	यू डी सी	23/11/2015	22/11/2016
11.	श्री विजय कुमार छेत्री	यू डी सी	19/11/2015	18/11/2016
12.	श्री सुदीप विश्वास	प्रयोगशाला सहायक	02/12/2015	01/12/2016
13.	श्री वेदांत प्रकाश सैकिया	प्रयोगशाला सहायक	02/12/2015	01/12/2016
14.	श्री राकेश पासवान	एल डी सी	20/11/2015	19/11/2016
15.	सुश्री पुजा खिलिंगे	एल डी सी	23/11/2015	22/11/2016
16.	श्री अंकुश गौरव	एल डी सी	01/12/2015	31/11/2016
17.	श्री कुंतल प्रमाणिक	पुस्तकालय अटेंडेंट	07/12/2015	06/12/2016

ई.सी. 27.4.2: शिक्षण कर्मचारियों के संवीदा अनुबंध में विस्तार

परिषद ने निम्नलिखित शिक्षण कर्मचारियों की भुटिया, लेप्चा एवं लिंबु विभाग में संवीदा अनुबंध में वर्तमान में लागू शर्तों पर दिनांक 31 जुलाई 2018 तक की अवधि हेतु विस्तार किया ।

क्र.सं.	**विभाग**	**नाम एवं पदनाम**
1.	भुटिया	श्री भाइचुंग छिरिंग भुटिया, एसोसिएट प्रोफेसर
2.		डॉ. हिस्से वांगचुक भुटिया, सहायक प्रोफेसर
3.	लिंबु	श्री बल बहादुर सुब्बा, एसोसिएट प्रोफेसर
4.		सुश्री कौशिला सुब्बा,

		सहायक प्रोफेसर
5.		श्री तेज राज लिंबु, सहायक प्रोफेसर
6.	लेप्चा	श्री नोर्बु छिरिंग लेप्चा, एसोसिएट प्रोफेसर
7.		श्री काच्यो लेप्चा, सहायक प्रोफेसर
8.		सुरी □क्मित लेप्चा, सहायक प्रोफेसर

परिषद ने सभी भाषाई विभागों में अनिवार्य भाषा विज्ञान पाठ्यक्रम रखने की भी सलाह दी।

ई.सी. 27.4.3: संवीदा पर प्रोफेसरों के संवीदा अनुबंध में विस्तार :

परिषद ने निम्नलिखित प्रोफेसरों की संवीदाजन्य नियुक्ति में दिनांक 1 जुलाई 2017 से एक वर्ष की अवधि हेतु आगे विस्तार वर्तमान शर्तों एवं निबंधनों पर किया ।

क्र.सं	**नाम**	**विभाग**
1.	प्रो. विनोद चंद्र तिवारी	भूविज्ञान
2.	प्रो. पी.के. शर्मा	गणित

परिषद ने सलाह दी कि विभाग से छात्रों द्वारा फी□ बैक एवं प्रोफेसर (संवीदा पर) से स्वमूल्यांकन रिपोर्टों को विभाग के प्रमुख/प्रभारी संबंधित स्कूल के □ीन से प्राप्त की जाए ।

ई.सी. 27.4.4: शिक्षकों की परीविक्षा अवधि का समापन

परिषद ने नोट किया कि निम्नलिखित शिक्षण कर्मचारियों ने प्रत्येक के विरुद्ध दर्शाई गई तारीख से अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है । परिषद ने यह भी नोट किया कि उनके कार्य निष्पादन की समीक्षा संबंधित रिव्युईंग प्राधिकारी द्वारा की गई एवं कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है । परिषद ने प्रत्येक के आगे दर्शाई गई तारीख से परीविक्षा उठाए जाने का अनुमोदन किया तथा उन्हें विश्वविद्यालय की सेवा में उनकी परिविक्षा की अगली तारीख से पुष्टि की गई।

क्र. सं	**नाम**	**विभाग**	**कार्यग्रहण की तारीख**	**परीविक्षा समाप्ति की तारीख**
1.	श्री इरफान अहमद	चीनी	08.12.2015	07.12.2016
2.	प्रो. अभिजीत दत्ता	वाणिज्य	04.12.2015	03.12.2016
3.	□ॉ. मोहन प्रताप प्रधान	कंप्यूटर अनुप्रयोग	07.12.2015	06.12.2016
4.	□ॉ. टी.जे.एम.एस राजू	शिक्षा	27.11.2015	26.11.2016
5.	□ॉ. रोजी चामलिंग	अंग्रेजी	14.01.2016	13.01.2017
6.	श्री ओम प्रकाश कप्तान	भुगर्भशास्त्र	30.11.2015	29.11.2016
7.	□ॉ. एस जीवनानंदम	इतिहास	30.11.2015	29.11.2016

8.	□ॉ. ख. रेणुका देवी	इतिहास	04.12.2015	03.12.2016
9.	□ॉ. निलाद्री बाग	बागवानी	10.02.2016	09.02.2017
10.	श्री राजेश कुमार	बागवानी	08.12.2015	07.12.2016
11.	प्रो. इम्तियाज गुलाम अहमद	विधि	11.12.2015	10.12.2016
12.	□ॉ. प्रवीण मिश्रा	विधि	02.12.2015	01.12.2016
13.	सुश्री रचना राई	प्रबंधन	08.12.2015	07.12.2016
14.	सुश्री स्वस्तिका प्रधान	राजनीतिशास्त्र	23.11.2015	22.11.2016
15.	□ॉ. नम्रता	मनोविज्ञान	26.11.2015	25.11.2016
16.	श्री शंकर नारायण बाग	समाजशास्त्र	08.12.2015	07.12.2016
17.	□ॉ. सुदीप धतानी	प्राणीशास्त्र	24.11.2015	23.11.2016

ई.सी. 27.4.5: आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी, कार्यकारी इंजीनियर एवं चिकित्सा अधिकारी के पद पर भर्ति

परिषद ने नोट किया कि विश्वविद्यालय ने निम्नलिखित गैर शिक्षण पदों पर नीचे दी गई तारीखों से अंतवार्ता संचालित किया है ।

क्र.सं	**पदनाम**	**दिनांक**
1.	आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी	27.03.2017
2.	कार्यकारी इंजीनियर	27.03.2017
3.	चिकित्सा अधिकारी	28.03.2017

परिषद ने यह भी नोट किया कि कुलपति ने निम्नलिखित विशेषज्ञों को भर्ति एवं पदोन्नति नियमावली (गैर शिक्षण) 2016 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत चयन समिति के प्रति निम्नानुसार नामित किया है:

"संबंधित क्षेत्र में दो विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय की सेवा में संलग्न न हों, कार्यकारी परिषद द्वारा नामित किया जाएगा"

क्र.सं	**पदनाम**	**संबंधित क्षेत्र में दो विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं है ।**
1.	आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी	श्री सुशील दास, चार्ट□ एकाउन्टेंटएकाउन्टेंट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, टिबेट रो□, गंगटोक
		श्री गोविंद कौशिक, वरि0 निदेशक(लेखा) वित्त विभाग, सिक्किम सरकार
2.	कार्यकारी इंजीनियर	श्री एस. के. छेत्री, पूर्व पी सी ई सह सचिव, सिक्किम सरकार
		श्री एम.के.प्रधान, पूर्व पी सी ई-सह-सचिव सिक्किम सरकार
3.	चिकित्सा अधिकारी	□ॉ. के भं□ारी, □ी जी सह सचिव, स्वास्थ्य देखभाल, मानव सेवा एवं परिवार कल्याण सिक्किम सरकार
		□ॉ. योगेश वर्मा, प्रोफेसर, पैथोलॉजी विभाग, एस एम यू

परिषद ने कुलपति द्वारा ऊपर वर्णित पदों के लिए चयन समिति के प्रति उपरोक्त विशेषज्ञों को नामित करने की कार्रवाई की संपुष्टि की । चयन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर समिति ने नीचे दिए गए चयनित अभ्यर्थियों के प्रति प्रस्ताव जारी करने का अनुमोदन किया तथा प्रतीक्षा सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को पैनल में रखने का भी अनुमोदन किया:

1.	आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी	-	श्री सी बी छेत्री	- चयनित
			सुश्री जी साइबोर्न	- प्रतीक्षासूची
2.	कार्यकारी इंजीनियर	-	श्री मनोज धेम्बरे	- चयनित
3.	चिकित्सा अधिकारी	-	□ॉ. लोक बहादुर लिंबु	- चयनित
			□ॉ. विनय उप्रेती	- प्रतीक्षासूची
			□ॉ. यस पाल्देन दोपथापा	- प्रतीक्षासूची

ई.सी. 27.4.6: परिषद ने नोट किया कि वर्तमान कुलपति जस्टिस (सेवानिवृत्त) सुश्री रूमा पाल दिनांक 18 अक्टूबर 2017 को अपना 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा करेगी परिषद ने यह भी नोट किया कि विश्वविद्यालय की सांविधि 1(1) के अनुसार, परिषद द्वारा देश के शैक्षणिक अथवा लोक जीवन से प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से कम से कम तीन के पैनल के अनुशंसा विजिटर के प्रति कुलपति के रूप में नियुक्ति हेतु किया जाना है ।

परिषद ने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की । चर्चा के उपरांत परिषद ने सांविधि 1(1) के अंतर्गत निम्नलिखित नामों की अनुशंसा विजिटर के प्रति विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्ति हेतु किया:

i. प्रो. सुखदेव थोराट
ii. प्रो. मृणाल मिरि
iii. प्रो. आनंद सी भागवती

ई.सी. 27.4.7: कुलपति की नियुक्ति हेतु खोज समिति के प्रति सदस्यों को नामित किया जाना

परिषद ने नोट किया कि वर्तमान कुलपति का कार्यकाल 14 अक्टूबर 2017 को पूरा हो रहा है । विश्वविद्यालय की सांविधि 2(1) के अनुसार "कुलपति की नियुक्ति विजिटर द्वारा कम से कम तीन व्यक्तियों के एक पैनल में से की जाएगी] जिन की अनुशंसा खं□ (2) के अंतर्गत गठित समिति द्वारा की जाएगी "

कथित संविधि के खं□ (2) के अनुसार, "खं□ (1) में संदर्भित समिति में तीन व्यक्तिगण होंगे, जिनमें से दो कार्यकारी परिषद द्वारा नामित किए जाएंगे तथा एक विजिटर द्वारा तथा विजिटर द्वारा नॉमिनी समिति का संयोजक होगा:

बशर्ते कि समिति का कोई भी सदस्य विश्वविद्यालय का अथवा इसके द्वारा अनुरक्षित किसी संस्थान का कर्मचारी ना हो, अथवा इसकी सुविधाओं से जुड़ा हुआ न हो अथवा विश्वविद्यालय के कृषि प्राधिकार का एक सदस्य ना हो ।

परिषद ने विचार विमर्श के बाद सर्च समिति में नामित किए जाने के लिए निम्नलिखित दो नामों का अनुमोदन किया, जिसका गठन कुलपति के चयन हेतु किया जाना है।

i. प्रोफ़ेसर मिहिर कांति चौधुरी, पूर्व कुलपति, तेजपुर विश्वविद्यालय
ii. प्रोफेसर रमेश चांद, नीति आयोग का सदस्य

ई.सी. 27.4.8: विश्वविद्यालय का विजन एवं मिशन

विचार विमर्श के पश्चात परिषद ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के लिए निम्नलिखित विजन एवं मिशन निर्धारित किया :

विजन: पूर्वोत्तर हिमालय की जनता का बौद्धिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास करना

मिशन: गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा प्रदान करना

ई.सी. 27.4.9: सिक्किम विश्वविद्यालय छात्र संघ (एस यू एस ए) का लोगो एवं मोटो

परिषद ने सिक्किम विश्वविद्यालय छात्र संघ (एस यू एस ए) का निम्नलिखित लोगो एवं मोटो अनुमोदित किया:

"विजन, एकता, सफलता"

यद्यपि परिषद ने सुझाव दिया कि एस यू एस ए प्रतियोगिता के माध्यम से अपने लोगों पर पुनर्विचार कर सकता है ।

ई.सी. 27.4.10: संविदा आधार पर प्रोफेसरों की नियुक्ति

परिषद ने नोट किया कि अपनी दिनांक 10 जनवरी 2016 को आयोजित 25 वीं बैठक में इसके द्वारा प्रोफेसर ए पी पाठक, भौतिकी विभाग में इमेरिटस प्रोफेसर की नियुक्ति का संविदा आधार पर अन्य प्रोफेसरों को लागू समान शर्तों एवं निबंधनों पर अनुमोदन किया था। परिषद ने नोट किया कि प्रोफेसर पाठक ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वे अल्पकालिक करार से संतुष्ट नहीं थे । यद्यपि □ॉक्टर पाठक से एक पत्र विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने गंगटोक में अवस्थित होने की सहमति व्यक्त की थी यदि उन्हें 3 वर्षों की अवधि के लिए दीर्घकालिक प्रस्ताव दिया जाता है ।

परिषद ने इस विषय पर विचार विमर्श किया तथा निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में संविदा आधार पर नियुक्त किए जाने वाले प्रोफेसरों के लिए अलग-अलग शर्तें नहीं हो सकती है । परिषद ने □ॉक्टर पाठक की आरंभिक रूप से 1 वर्ष की अवधि हेतु संविदा आधार पर नियुक्ति का अनुमोदन किया जिसे वार्षिक रूप से विस्तारित किया जा सकता है ।

ई.सी. 27.4.11: विश्वविद्यालय के अभिलेखों के लिए प्रतिधारण अवधि

परिषद ने नोट किया की विभिन्न अभिलेखों की वर्तमान प्रतिधारण अवधि का अनुमोदन परिषद द्वारा दिनांक 31 मार्च 2014 को 19वी बैठक एवं 28 जून 2014 को आयोजित 20 वीं बैठक में किया गया था । परिषद ने विश्वविद्यालय कि कुछ श्रेणी के अभिलेखों विशेषकर विज्ञापनों के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों की प्रतिधारण अवधि साथ ही अतिरिक्त अभिलेखों जिनके लिए प्रतिधारण अवधि सुझाई गई है, में चिंता को भी नोट किया ।

परिषद में विचार विमर्श के बाद अभिलेखों के लिए निम्नानुसार प्रतिधारण अवधि अनुमोदित किया :

1. नियुक्ति संबंधी अभिलेख

क्र. सं	**अभिलेख की प्रकृति**	**प्रतिधारण अवधि**
1	विभिन्न पदों (सांविधिक, शिक्षण, एवं गैर शिक्षण) के प्रति नियुक्ति हेतु विज्ञापनों के विरूद्ध प्राप्त आवेदन पत्र	कार्यकारी परिषद /नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति की अनुमोदन तिथि से दो वर्षों तक, निम्नलिखित शर्तों पर i. कि नियुक्ति के विरूद्ध कोई कोर्ट मामला नहीं है । ii. कि नियुक्ति हेतु पैनल में कोई

		नाम नहीं बचा है/समाप्त हो गया है । iii. आवेदनों का निपटान सिर्फ गैर चयनित मामलों के लिए किया जाता है ।

2. परीक्षा विभाग अभिलेख

क्र. सं	अभिलेख की प्रकृति	प्रतिधारण अवधि
1	प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाएं	परिणाम घोषित होने के बाद एक वर्ष
2	पूराने प्रश्न पत्र	सेमेस्टर परीक्षा समाप्ति के तत्काल बाद। 10 प्रश्न पत्रों का एक सेट स्थायी रूप से अभिरक्षित किया जाएगा ।
3	भरे गए पंजीकरण फामर् एवं प्राप्त माइग्रेशन प्रमाण पत्र	पंजीकरण समाप्ति के बाद एक वर्ष
4	भरे गए परीक्षा आवेदन प्रपत्र	परिणाम घोषित होने के बाद 6 माह
5	भरे गए आवेदन प्रपत्र, अस्थायी ि◌ग्री एवं माइग्रेशन प्रमाण पत्र हेतु	प्रमाण पत्रों के प्राधिकृत जारी किए जाने के तत्काल बाद
6	भरे गए सेमेस्टर प्रोग्राम कार्◌	परिणाम घोषित होने के बाद 6 वर्ष
7	भरे गए अंतिम सेमेस्टर अंक पत्रक	परिणाम घोषित होने के बाद 3 वर्ष
8	प्रयुक्त ि◌कोि◌िंग पत्रक	परिणाम घोषित होने के बाद 3 वर्ष
9	आंतरिक मूल्यांकन अंक	परिणाम घोषित होने के बाद 3 वर्ष
10	अंतिम सेमेस्टर उपस्थिति शीट	परिणाम घोषित होने के बाद 3 वर्ष
11	अंतिम सेमेस्टर अनुपस्थिति शीट	परिणाम घोषित होने के बाद 3 वर्ष
12	अंतिम सेमेस्टर उत्तर पुस्तिका प्रेषण मेमो	परिणाम घोषित होने के बाद 6 वर्ष
13	प्रश्न पत्र खोले जाने का प्रमाण पत्र	सेमेस्टर परीक्षा समाप्ति के तत्काल बाद
14	निरस्त अंक कार्◌, ि◌ग्री प्रमाण पत्र, अस्थायी ि◌ग्री प्रमाण पत्र, माइग्रेसन प्रमाण पत्र एवं पंजीकरण प्रमाण पत्र	निरस्तीकरण की प्राधिकृत अभिलेख प्रविष्टि के बाद तत्काल

परिषद ने 56000 अप्रयुक्त प्रोग्राम कार्◌ के निपटान का भी अनुमोदन किया, जिससे 30000 प्रोग्राम कार्◌ निकट भविष्य में किन्हीं आकस्मिक अनिवार्यताओं की पूर्ति करने के लिए सुरक्षा भं◌ार के रूप में बाकी रह गया । इस सुरक्षा भं◌ार को भी बाद में क्रमिक रूप से निपटान किया जा सकता है।

ई.सी. 27.4.12: विश्वविद्यालय द्वारा एमओयू में प्रवेश हेतु प्रस्ताव

परिषद में निम्नलिखित संस्थानों के साथ एमओयू का अनुमोदन किया (अनुलग्नक-2)

i. परमाण्विक खनिज निदेशालय, खोज एवं अनुसंधान हेतु (एएमि◌ी) एवं सिक्किम विश्वविद्यालय के बीच एमओयू

ii. राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, हैदराबाद के साथ एमओयू
iii. ऑर्किड्स हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, पाक्योंग, पूर्व सिक्किम के साथ ही एमओयू
iv. नामग्याल टिबेटोलॉजी संस्थान के साथ एमओयू

ई.सी. 27.4.13: सांविधि 19 के अंतर्गत प्रोफेसरों की नियुक्ति

परिषद ने नोट किया कि प्रोफेसर के 32 स्वीकृत पदों में से, सिर्फ 6 प्रोफेसर पद पर स्थित है । प्रोफेसरों के इन पदों को कई बार विज्ञापित किया गया परंतु कोई भी आवेदन याद तो प्राप्त नहीं हुआ था या कोई अभ्यर्थी अर्हता प्राप्त नहीं पाए गए । इस प्रकार विश्वविद्यालय के कुछ विभाग पर्याप्त मार्गदर्शन एवं अभिज्ञता के अभाव में उचित रूप से विकसित नहीं हो पा रहे हैं । हम लोगों ने निम्नलिखित प्रोफेसरों के सी वी प्राप्त किया है, जो प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे थे तथा अपने संबंधित संस्थानों से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

i. प्रो. जेटा सांस्कृत्यायन
ii. प्रो. संजय बंदोपाध्याय

वे क्रमश: उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय एवं रवींद्र भारती विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं और अभी भी उनकी 3 वर्षों की क्रियाशील सेवावधि बची हुई है ।

परिषद ने विचार विमर्श के पश्चात सांविधि 19 के अंतर्गत प्रोफेसरों की नियुक्ति, अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर संजय बंदोपाध्याय के मामले में अनुमोदन किया ।

ई.सी. 27.4.14: डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (ओनोरिस कौसा) डिग्री प्रदान किया जाना

शैक्षणिक परिषद की अनुशंसाओं के आधार पर (अनुमोदन परिचालन के माध्यम से प्राप्त) परिषद ने श्री पवन कुमार चामलिंग एवं श्री इंद्र बहादुर राई को उनके क्रमश: समाज एवं साहित्य में महत्वपूर्ण अवदानों के लिए अगले दीक्षांत समारोह में □ॉक्टर ऑफ फिलॉसफी □िग्री प्रदान किए जाने के लिए विजिटर के प्रति अनुशंसा का अनुमोदन किया ।

परिषद में श्री बाल्मीकि प्रसाद सिंह को □ॉक्टर ऑफ फिलॉसफी(ओनोरिस काउसा) □िग्री प्रदान किए जाने के विचार को विलंबित किया गया ।

ई.सी. 27.4.15: डॉ जयिता सेनगुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा कदाचार एवं पदत्याग का प्रस्तुत किया जाना ।

परिषद ने नोट किया कि कुलपति द्वारा निम्नलिखित सदस्यों के साथ एक तथ्य खोजी समिति की नियुक्ति की गई थी:

i. प्रो. वी. रामा देवी - अध्यक्ष
ii. प्रो. ए.एस. चंदेल - सदस्य
iii. □ॉ. प्रवीण मिश्रा - सदस्य

समिति ने निष्कर्ष दिया कि □ॉ जयिता सेनगुप्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों में मेरिट है तथा वह कदाचार का दोषी है । तथ्य खोजी समिति रिपोर्ट कुलपति द्वारा स्वीकार की गई तथा □ॉ. जयिता सेनगुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर को दिनांक 14 दिसंबर 2016 से लागू सीसीएस (सीसीए) नियमावली के नियम 10(1)के अंतर्गत निलंबित किया गया, तथा □ॉ. जयिता सेनगुप्ता का मुख्यालय गंगटोक के रूप में निर्धारित किया गया । उन्हें कुलपति की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्य मुख्यालय

छोड़ने की मनाही थी । उन्हें अधिसूचित छुट्टी के दिनों को छोड़कर प्रत्येक दिन प्रबंधन खं(प्रशासनिक भवन) में रिपोर्ट करने को कहा गया ।

परिषद ने यह भी नोट किया कि ॉ जयिता सेनगुप्ता ने निलंबन पश्चात सिर्फ 4 दिनों में प्रबंधन खं में रिपोर्ट किया तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर किया । तत्पश्चात उन्होंने स्वत: स्टेशन छोड़ दिया और अब तक गंगटोक में रिपोर्ट नहीं किया है ।

विश्वविद्यालय ने एम ए अंग्रेजी प्रथम तथा तृतीय सेमेस्टर की सेमेस्टरोंपरांत परीक्षा एवं एमफिल/पीएची कोर्स वर्क परीक्षा हेतु परीक्षा पर्यवेक्षक की रिपोर्ट, दिनांक 21 दिसंबर 2016 भी प्राप्त किया है । रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वह अपनी ड्यूटी पर रिपोर्ट करने में आदतन विलंब करती थी तथा हमेशा एमफिल/ पीएची कोर्स वर्क परीक्षा कक्ष में रहने के लिए आ रही रही है श्रीमती अरुणा अली पांय एनफील पीएची कोर्स वर्क का पर्यवेक्षक ने परीक्षा पर्यवेक्षक (ॉ. रोजी चामलिंग) को दिनांक 5 दिसंबर 2016 के परीक्षा दिवस को रिपोर्ट किया तथा असुविधा का उल्लेख किया, क्योंकि ॉ. जयिता सेनगुप्ता लगातार परीक्षार्थियों को संकेत करती थी तथा परीक्षा पर्यावरण की मर्यादा को भंग करती थी ।

परिषद ने यह भी नोट किया कि ॉ जयिता सेनगुप्ता को कदाचार हेतु दिनांक 6 फरवरी 2016 को आरोप पत्र जारी किया गया। उन्होंने सभी आरोपों का खंन करते हुए आरोप पत्र के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दी एवं तदनुसार सी सी एस (सीसीए) नियमावली 1965 के नियम 14 के अंतर्गत जस्टिस (सेवानिवृत्त) ए.पी.सुब्बा के अधीन इंक्वायरी प्राधिकारी के रूप जांच पड़ताल का आदेश दिया गया ।

ॉ जयिता सेनगुप्ता को भरण पोषण भत्ता का भुगतान नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वह एफ आर 32(2) के अंतर्गत यह प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल रही कि वह किसी अन्य नियोजन व्यवसाय, व्यापार अथवा वोकेशन से संलग्न नहीं है ।

उनके निलंबन की समीक्षा नियम 10 (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पुनरीक्षण समिति द्वारा की गई, जिसने उसके निलंबन को 13 मार्च 2017 के आगे की अवधि के लिए विस्तारित करने की अनुशंसा की :

i. कुलपति
ii. प्रोफेसर घनश्याम नेपाल, कार्यकारी परिषद सदस्य
iii. रजिस्ट्रार

परिषद ने यह भी नोट किया कि ॉ. जयिता सेनगुप्ता ने अपने दिनांक 26 अप्रैल 2017 के पत्र के माध्यम से एसोसिएट प्रोफेसर के पद से त्यागपत्र दिया है, तथा तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करने, साथ ही सूचना अवधि एवं सूचना के स्थान पर संबंधित वित्तीय शर्तों की दयालुतापूर्वक माफी दिए जाने का अनुरोध किया है । उनके विरुद्ध चलाए जा रहे एवं लंबित सभी कार्यवाहियों को बंद करने एवं वापस लेने का अनुरोध किया गया है ।

परिषद ने इस विषय पर विस्तृत विचार विमर्श किया तथा कुलपति द्वारा उन्हें निलंबित करने, आरोप पत्र जारी करने तथा सी सी एस (सी सी ए) नियमावली के नियम 14 के अंतर्गत जस्टिस (सेवानिवृत्त) ए.पी. सुब्बा के साथ इंक्वायरी प्राधिकारी के रूप में जांच पड़ताल का आदेश देने में की गई कार्रवाई की संपुष्टि की । आगे यह भी निर्णय लिया गया कि ॉक्टर जयिता सेनगुप्ता के

विरुद्ध बैठाई गई जांच पड़ताल आगे चलती रहेगी तथा उसके त्यागपत्र को तब तक आस्थगित रखा जाए, जब तक कि उनके अनुशासनिक मामले पर एवं उनके त्याग पत्र पर विधिक परामर्श नहीं प्राप्त कर लिया जाता है । कुलपति इस मामले में प्राप्त विधिक परामर्श के आधार पर कार्रवाई करें ।

ई.सी. 27.4.16: डॉ विजय कुमार थांगेलापल्ली, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अन्य के विरुद्ध पीईओ 102016A0003 में सीबीआई मामला

परिषद ने नोट किया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) भ्रष्टाचार रोधी शाखा (ए सी बी) कोलकाता ने विश्वविद्यालय के प्रति एक रिपोर्ट दिनांक 30 सितंबर 2016 को प्रकरण संख्या पी ई ओ 102016A0003 के अंतर्गत किए गए प्रारंभिक अन्वेषण के आधार पर अपने निष्कर्ष एवं अनुशंसाओं को उल्लेखित करते हुए दिया है। सीबीआई ने निष्कर्ष निकाला है कि शिकायतकर्ता द्वारा आरोपित अभियोग सही पाया गया है । यह कहा गया है कि □ॉक्टर थांगेलापल्ली ने यूजीसी विनियमावली 2010 के परिशिष्ट III के श्रेणी II के अंतर्गत एसोसिएट प्रोफेसर के पद हेतु न्यूनतम 300 अंकों के विरुद्ध 225.5 अंक प्राप्त किया है । साथ ही गंभीर चूकें एवं कदाचार की कार्रवाई का निष्कर्ष स्क्रीनिंग समिति के सदस्यों के प्रति निकाला गया है, जो कि □ॉक्टर थांगेलापल्ली को अल्पसूचीबद्ध करने तथा अंतर्वार्ता हेतु उसका नाम अनुशंसित करने के उत्तरदाई थी । यद्यपि, रिपोर्ट में कहा गया है कि पुनरीक्षण समिति के विरुद्ध कोई गंभीर अचूक नहीं पाया गया, क्योंकि पुनरीक्षण समिति के लिए वास्तविक रुप से यह संभव नहीं था कि सभी आवेदनों की समीक्षा स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसाओं की तुलना में की जा सके ।

समिति ने यह भी नोट किया कि सीबीआई ने सभी चयनित एसोसिएट प्रोफेसरों के आवेदनों की मांग की है, जिन्हें विश्वविद्यालय में □ॉक्टर थांगेलापल्ली के साथ दिनांक 10 मई 2013 के विज्ञापन के विरुद्ध नियुक्ति दी गई थी । रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऐसे ही विसंगतियां □ॉ. बिनु मैथ्यू के बागवानी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति में की गई है । सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में संदिग्धों के साथ निम्नलिखित अनुशंसाएं की है:

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	अनुशंसा
1.	श्री के.एम.देव, तत्कालीन कुलसचिव	कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि वह अब सेवा में नहीं है ।
2.	□ॉ. कृष्ण अनंत, एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग	मुख्य दं□ हेतु आर□ीए
3.	□ॉ. अमिताभ भट्टाचार्य, एसोसिएट प्रोफेसर, भौतिकी विभाग	मुख्य दं□ हेतु आर□ीए
4.	□ॉ. विजय कुमार थांगेलापल्ली, एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग	सेवा से बरखास्तगी
5.	प्रो. ए एस चंदेल, नेहु का प्रोफेसर (सेवानिवृत्त)	कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि वह अब सेवा में नहीं है ।
6.	□ॉ. सुबीर मुखोपाध्याय, एसोसिएट प्रोफेसर, भौतिकी विभाग	ऐसी कार्रवाई जो उचित हो
7.	प्रो. अशोक कुमार दत्ता, पूर्व निदेशक, आर जी आई आई एम, शिलांग	कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि वह अब सेवा में नहीं है ।
8.	□ॉ. धनिराज छेत्री, एसोसिएट प्रोफेसर, बॉटनी विभाग	ऐसी कार्रवाई जो उचित हो

सीबीआई ने आरंभ में रिपोर्ट को गोपनीय मानने को कहा था, जिसमें संदिग्धों अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ आगे किए जाने वाले पत्राचारों में इसका कोई संदर्भ नहीं दिया जा सकता है । यह विश्वविद्यालय को स्वीकार्य नहीं था तथा सीबीआई से इस रिपोर्ट को कार्यकारी परिषद के समक्ष रखने की अनुमति देने के लिए कहा गया था, क्योंकि यह अनुशासनिक प्राधिकारी है, साथ ही रिपोर्ट के संगत अंश का उपयोग सीबीआई द्वारा आरोपित संकाय सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के मामले में भी करने की अनुमति मांगी गई थी ।तत्पश्चात , सीबीआई ने अपने दिनांक 16 फरवरी 2017 के पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय को यह रिपोर्ट कार्यकारी परिषद (अनुशासनिक प्राधिकारी) के समक्ष कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ करने के लिए प्रस्तुत करने, साथ ही रिपोर्ट के संगत अंशों को संबंधित कार्मिकों के प्रति आरोप पत्र जारी करने के लिए उद्धृत करने की अनुमति प्रदान किया है, परंतु सीबीआई रिपोर्ट की प्रति किसी को भी उपलब्ध नहीं की जाएगी । परिषद ने विचार विमर्श के पश्चात विश्वविद्यालय से इस विषय में कार्यवाही आगे बढ़ाने के पूर्व विधिक राय प्राप्त करने को कहा गया ।

टेबल मदें

ई.सी. 27.4.17: चाइनीज एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग विभागों में संविदा आधार पर प्रोफेसरों की नियुक्ति

परिषद ने नोट किया कि प्रोफेसरों की अनुपलब्धता के कारण कुछ विभागों द्वारा प्रत्याशित बेंचमार्क प्राप्त नहीं किया जा सका है, जो कि अन्य विभागों से अपेक्षित है । साथ ही कुछ विभागों में नामांकन हेतु आवेदनों की संख्या विद्यमान उपलब्ध सीटों की अपेक्षा बहुत कम होती है । निम्नलिखित प्रोफेसरों के बायो□ाटा परिषद के समक्ष संविदा के आधार पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति हेतु विचारार्थ रखा गया ।

i. प्रोफेसर कमल शील, विदेशी भाषाएं विभाग, बीएचयू, में चाइनीज अध्ययन के प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त
ii. प्रोफेसर मृणाल कांति घोष, सिक्किम मणिपाल प्रौद्योगिकी संस्थान माझीटार, पूर्व सिक्किम में कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग में □ीन (शैक्षणिक)एवं प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त

परिषद ने विचार विमर्श के पश्चात प्रोफेसर कमल शील एवं प्रो. मृणाल कांति घोष की संवीदा संविदा आधार पर अन्य प्रोफेसरों को संवीदा आधार पर लागू समान शर्तों एवं निबंधनों पर क्रमश: चाइनीज एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग विभागों में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि हेतु नियुक्ति का अनुमोदन किया ।

भाग - 5

प्राधिकारियों/समितियों के कार्यवृत्त

ई.सी. 27.5.1: शैक्षणिक परिषद की दिनांक 11 नवंबर 2016 को आयोजित 21वीं बैठक के कार्यवृत्त

परिषद ने शैक्षणिक परिषद की दिनांक 11 नवंबर 2016 को आयोजित 21वीं बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया तथा निम्नलिखित मदों पर विशिष्ट अनुमोदन प्रदान किया :

i. नौ महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए अस्थाई संबद्धता में विस्तार। पैलेटिन महाविद्यालय, पाक्योंग की शैक्षणिक सत्र 2018-19 से अ-संबद्धता

ii. नीचे उल्लेखित महाविद्यालयों में एमफिल /पीएचडी प्रोग्राम हेतु विषय संबद्धता शुल्क तथा इसे अध्यादेश ओ डी - 1 के संगत स्थान पर अंतर्वेशित करना :

(क) एम. फिल - रू. 6,000 प्रति विषय

(ख) पीएचडी - रू. 8,000 प्रति विषय

iii. विश्वविद्यालय के साथ संम्बद्धता को इच्छु महाविद्यालयों के लिए अध्यादेश ओ डी -1 में खं□ 20 के सारणी के नीचे निम्नलिखित अंतर्वेशन के साथ संशोधन द्वारा नियत जमा: "उपरोक्त क्रम संख्या 15 एवं 16 में यथा उल्लेखित नियत जमा राज्य सरकार द्वारा संचालित महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा । यह विधिवत गठित एवं पंजीकृत सोसाइटी अथवा ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित महाविद्यालयों के लिए लागू होगा।"

iv. अनुसंधान परियोजनाओं के लिए मार्गदर्शन में संशोधन (अनुलग्नक -3)

v. विश्वविद्यालय के अध्यादेशों/विनियमावली में संशोधन (अनुलग्नक-4)

vi. सुपर न्यूमेररी सीटों के विरुद्ध पीएचडी नामांकन पर नियमावली (अनुलग्नक-5)

vii. पी जी महाविद्यालयों को पीएचडी हेतु पर्यवेक्षकों की अध्यादेश ओ सी - 7 के खं□ 3 में शब्द "पी जी महाविद्यालय" जहां "विश्वविद्यालय" उल्लेखित है, प्रविष्टि करके संशोधन द्वारा नियुक्ति की अनुमति प्रदान किया जाना

viii. कुलपति को अन्य विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थानों से मानद संकाय सदस्यों के विवरणों में यह देखने के लिए कि इन पदों को कैसे प्रबंधित किया जाए एवं उन्हें मानदेय की अनुमति दी जाए, एक समिति के गठन हेतु प्राधिकृत किया जाना ।

ix. विश्वविद्यालय के 5 विभागों कि उनकी स्थिति, सिलेबस संकाय आदि के अनुसार शैक्षणिक समीक्षा तथा इन विभागों का पुनर्गठन/ पुनर्संरचना हेतु उपाय सुझाया जाना । साथ ही समीक्षा के संचालन के लिए एक उचित समिति का गठन किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक समाप्त हुई

ह0/-
(टी.के.कौल)
कुलसचिव एवं सचिव

ह0/-
(प्रो.टी.बी. सुब्बा)
कुलपति एवं अध्यक्ष